प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ</u>

<u>अधिकारिता:</u> <u>माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा,एवं</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर,</u>

<u>दांडिक अपील संख्या 819/1993</u>

हाटकेश्वर @ केशेअर

<u>बनाम</u>

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर</u>

मैं सहमत हूँ।

सही/-
आर. एल. झंवर
न्यायाधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें: 20/4/2010

सही/-

टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

अधिकारिता: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा,एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एल. झंवर,

दांडिक अपील संख्या 819/1993

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता **हाटकेश्वर @ केशेअर पुत्र भुवनराम, जाति महकुल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी चुल्हापानी, थाना नारायणपुर, जिला रायगढ़ (म.प्र.) (अब छ.ग.)**

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(धारा 374 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 21) के तहत दंडिक अपील)

उपस्थिति:

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री संदीप यादव, राज्य/**प्रत्यर्थी** पक्ष के उप शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को प्रदत्त)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा** द्वारा सुनाया गया

(1) इस अपील में चुनौती उस दोषसिद्धि एवं दंडादेश दिनांक 29 अप्रैल 1993 को दी गई है, जो कि माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 117/1992 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को मृतका भुखलीबाई @ केमला की हत्या के तुल्य आपराधिक मानव वध करने तथा अपराध के साक्ष्य को छिपाने का दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उसे क्रमशः आजीवन कारावास एवं दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस, निर्णायक एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप से दोषी ठहराकर दंडित किया है, जिससे न्यायालय द्वारा अवैधता की गई है।

(3) अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है, अपीलार्थी हटकश्वर का मृतका भुखलीबाई, जो कि गोवर्धन की पत्नी थी, के साथ अवैध संबंध था। अपीलार्थी ने अनेक अवसरों पर मृतका भुखलीबाई को अपने साथ गाँव छोड़कर जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाने के लिए कहा, किन्तु उसने प्रत्येक बार इंकार कर दिया। दिनांक 1.5.1992 से एक दिन पूर्व, अपीलार्थी ने मृतका के साथ अवैध शारीरिक संबंध स्थापित किया और उसे निर्देश दिया कि वह अगले दिन नहर (नाला) पर मिले। दिनांक 1.5.1992 को मृतका भुखलीबाई कपड़े धोने हेतु नहर पर गई, जहाँ अपीलार्थी भी पहुँचा। उसने पुनः मृतका को गाँव से बाहर उसके साथ जीविकोपार्जन हेतु चलने को कहा, किन्तु मृतका ने पुनः मना कर दिया। इस पर

अपीलार्थी ने अपने पास रखी हुई फरसा से मृतका की गर्दन पर प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटने के उपरांत, अपीलार्थी ने मृतका का सिर अपने गमछे (तौलिया) में लपेटकर निकट स्थित एक वृक्ष में छिपा दिया। तत्पश्चात वह वापस आया और स्नान किया। मृतका का सिरविहीन धड़ नहर के पास पड़ा हुआ पाया गया। गाँववाले वहाँ पहुँचे और मृतका का धड़ देखा। मृतका के जेठ गदाधर (अ.सा.-2) थाना गए और वहाँ उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे प्रदर्श प्रदर्ष-पी/1 के रूप में अंकित किया गया। साथ ही मर्ग सूचना भी प्रदर्ष-पी/12 के रूप में दर्ज की गई। जाँच अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचा, गवाहों को बुलाया और मृतका के शव का पंचनामा तैयार किया, जो प्रदर्ष-पी/2 के रूप में अभिलेखित है। घटनास्थल से बाल, माँस के टुकड़े, रक्तरंजित तथा साधारण मिट्टी जब्त की गईं (प्रदर्ष-पी/3) और मृतका की टूटी हुई चूड़ियाँ भी जब्त की गईं (प्रदर्ष-पी/4)। सिरविहीन शव को सरकारी अस्पताल, बगीचा में शव परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. राजकुमार पटेल (अ.सा.-5) द्वारा प्रदर्ष-पी/8 के अंतर्गत शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पाया गया कि सिर अनुपस्थित था, गर्दन कटी हुई थी, तथा बाएँ कंधे पर 3 इंच × 3 इंच × हड्डी तक गहरा घाव था। आंतरिक अंगों में भीषण संवहनी जाम पाई गई। दिनांक 3.5.1992 को अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया। उसने अपना संस्वीकृति कथन दिया, जिसमें उसने मृतका भुखलीबाई का कटा हुआ सिर, रक्तरंजित फरसा, तथा रक्तरंजित कपड़े होने की जानकारी दी (प्रदर्ष-पी/5)। अपीलार्थी पुलिस को लेकर एक कहुवा वृक्ष के पास गया, जहाँ से उसने मृतका का कटा हुआ सिर निकाला, जो प्रदर्ष-पी/6 के अंतर्गत जब्त किया गया। आरोपी द्वारा अपने घर से एक फरसा एवं रक्तरंजित कपड़े भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें प्रदर्ष-पी/7 के अंतर्गत जब्त किया गया। सिर को पुनः परीक्षण हेतु डॉ. राजकुमार पटेल (अ.सा.-5) को भेजा गया। उन्होंने सिर का परीक्षण प्रदर्ष-पी/9 के अंतर्गत किया और पाया कि वह एक महिला का सिर था। उन्होंने फरसा का भी परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्ष-पी/10 के अंतर्गत किया। मृतका के शव को शव परीक्षण हेतु भेजते समय जाँच अधिकारी ने चिकित्सक से यह जाँचने का अनुरोध भी किया कि क्या मृतका के साथ मृत्यु से पूर्व बलात्कार किया गया था या नहीं। इस हेतु योनि से स्क्रैप लिया गया, जिसे प्रदर्ष-पी/13 में अंकित किया गया। घटनास्थल का नक्शा जाँच अधिकारी द्वारा तैयार किया गया, जो प्रदर्ष-पी/14 के रूप में अभिलेखित है।

(4) गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। जाँच पूर्ण होने के उपरांत, आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुरनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायगढ़ के समक्ष विचारण हेतु प्रेषित किया। वहाँ से यह मामला स्थानांतरित होकर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर के न्यायालय में विचारण हेतु आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण किया। अपीलार्थी का विवरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत सभी परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और इस अपराध में अपनी संलिप्तता को झूठा आरोप बताया।

(6) पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया।

(7) हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अभय तिवारी तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुना है, साथ ही आक्षेपित निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के समस्त अभिलेख का अवलोकन किया है।

(8) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने की स्थिति में, अभियोजन का दायित्व है कि वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जो निम्नलिखित परीक्षणों पर खरे उतरें:—

i. वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, दृढ़ता एवं स्पष्टता के साथ स्थापित होनी चाहिए;

ii. वे परिस्थितियाँ निश्चित स्वरूप की हों तथा बिना किसी संदेह के अभियुक्त की ओर ही दोष का संकेत करती हों;

iii. सभी परिस्थितियाँ मिलकर ऐसी पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करें कि यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो कि मानव-सम्भाव्यता की समस्त सीमाओं के भीतर अपराध अभियुक्त ने ही किया है और किसी अन्य ने नहीं;

iv. परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने पूर्ण एवं सुसंगत हों कि अभियुक्त की निर्दोषता की किसी भी अन्य परिकल्पना को अस्वीकार्य कर दें; तथा वे साक्ष्य अभियुक्त के दोष के अनुकूल तथा उसकी निर्दोषता के प्रतिकूल हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि वे परिस्थितियाँ, जिन्हें सिद्ध किया गया है, एक पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती हों तथा अभियुक्त अथवा किसी अन्य व्यक्ति की निर्दोषता को नकारने के लिए पर्याप्त हों, और इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु सक्षम हों कि अपराध केवल अपीलार्थी ने ही किया है। वर्तमान प्रकरण में, गवाहों के कथन आपस में

परस्पर विरोधाभासी हैं। संतू (अ.सा.-1) के कथन के अनुसार, अपीलार्थी घटना-स्थल के पास खड़ा था, उसके हाथ में फरसा थी, और मृतका भुखलीबाई नहर में कपड़े धो रही थी। कुछ समय बाद जब वह नहर के पास से गुजरा, तो उसने अपनी मौसी मृतका भुखलीबाई का सिर देखा, जबकि शरीर का शेष भाग वहाँ नहीं था। अन्य गवाह — जगेश्वर, गोवर्धन तथा गदाधर — भी उस समय स्थल पर उपस्थित थे। तत्पश्चात संतू वहाँ से जंगल की ओर चला गया और कुछ समय पश्चात वापस आया। अगले दिन पुलिस आई और मृतका के धड़ को बगीचा ले जाने हेतु कहा, जिसे वह ले गया। बाद में, अभियुक्त के संस्वीकृति कथन के आधार पर मृतका का सिर एक वृक्ष के पास से बरामद किया गया। इसी प्रकार, गदाधर (अ.सा.-2) तथा गोवर्धन (अ.सा.-3) ने यह बयान दिया कि जब वे घटनास्थल पर पहुँचे, तब उन्हें मृतका का धड़ मिला, सिर अनुपस्थित था, अर्थात सिर उसी समय से गायब था। इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाह स्वयं घटनास्थल के आसपास उपस्थित थे और मृतका का पति भी गदाधर के साथ वहीं था, परंतु बाद में सिर गायब हो गया और केवल धड़ पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि *अपीलार्थी ने सिर को छिपाया हुआ नहीं था*। इन विरोधाभासी कथनों के कारण गवाहों के साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ये कथन उनके बयान को अविश्वसनीय सिद्ध करने हेतु पर्याप्त हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) इसके विपरीत, माननीय राज्य पक्ष के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क किया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी का मृतका भुखलीबाई, जो विवाहित स्त्री थी, के साथ अवैध संबंध था और अपीलार्थी के साथ जीविकोपार्जन हेतु गाँव से बाहर जाने को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण अपीलार्थी ने मृतका की निर्मम हत्या की। वह घटना-स्थल पर मृतका के साथ उपस्थित था, उसके पास फरसा थी, और बाद में मृतका का सिर उसके ही बताने पर कपड़ों तथा अपराध में प्रयुक्त हथियार सहित जब्त किया गया। ये साक्ष्य अपीलार्थी को संबंधित अपराध से

जोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित करते हुए उचित निर्णय दिया है।

(10) पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में, मृतका भुखलीबाई की मृत्यु, जिसका कारण सिर काटे जाने से उत्पन्न *जीवन-हरणकारी* चोटें थीं, इस तथ्य को अपीलार्थी की ओर से कोई गंभीर विरोध नहीं किया गया है, बल्कि यह तथ्य *डॉ. राजकुमार पटेल (अ.सा.-5)* के कथन, शव परीक्षण *रिपोर्ट प्रदर्श-पी/8* तथा *सिर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/9* से भी प्रतिपादित होता है। इसी प्रकार, *संतू (अ.सा.-1)*, *गदाधर (अ.सा.-2)*, *गोवर्धन (अ.सा.-3)*, *त्रिलोचन (अ.सा.-4)* तथा *प्रधान आरक्षक शोभनाथ सिंह (अ.सा.-10)* के साक्ष्यों से भी यह सिद्ध होता है कि मृतका भुखलीबाई का कटा हुआ धड़ तथा सिर पाया गया था और उसकी मृत्यु में मानव वध थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि होने की स्थिति में, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सी. चंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश*[1] राज्यके प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है, अभियोजन को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जो निम्नलिखित परीक्षणों पर खरे उतरें:—

i. वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, दृढ़ता एवं स्पष्टता के साथ स्थापित होनी चाहिए;

ii. वे परिस्थितियाँ निश्चित प्रकृति की हों, जो बिना किसी विचलन के अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर ही संकेत करती हों;

iii. समस्त परिस्थितियाँ मिलकर ऐसी पूर्ण एवं अबाधित श्रृंखला बनाती हों कि यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाए कि सामान्य मानव संभाव्यता की सीमा में अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है और किसी अन्य द्वारा नहीं; और

[1] AIR 1996 SC 3390 : (1996) 10 SCC 193

iv. परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना पूर्ण हो कि वह अभियुक्त की दोषसिद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना को स्वीकार न कर सके, तथा ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुकूल हो बल्कि उसकी निर्दोषता के प्रतिकूल भी हो।

(12) वर्तमान प्रकरण में दोषसिद्धि निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है:-

i. अपीलार्थी का मृतका भुखलीबाई, जो कि गोवर्धन (अ.सा.-3) की पत्नी थी, के साथ अवैध संबंध था;

ii. अपीलार्थी उसे अपने साथ जीविकोपार्जन हेतु गाँव से बाहर चलने के लिए प्रलोभित करता था, जिससे वह इंकार कर देती थी;

iii. घटना के दिन तथा घटना के समय, मृतका भुखलीबाई गाँव से दूर नहर पर कपड़े धो रही थी;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

iv. अपीलार्थी हटकश्वर घटना के समय मृतका के समीप उपस्थित था;

v. अपीलार्थी के हाथ में फरसा थी;

vi. कुछ समय बाद मृतका का कटा हुआ धड़ नहर के पास पड़ा हुआ पाया गया;

vii. जब मृतका का कटा हुआ धड़ नहर के पास पाया गया, उस समय अपीलार्थी घटनास्थल के आसपास उपस्थित नहीं था;

viii. मृतका का सिर भी अनुपस्थित था;

ix. मृतका का सिर अपीलार्थी की निशानदेही पर एक छिपे हुए स्थान से बरामद किया गया;

x. अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मृतका को चोट किसने पहुँचाई और उसकी गर्दन किसने काटी;

xi. अपीलार्थी ने यह भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मृतका का सिर किसने छिपाया।

(13) संतू (अ.सा.-1), जो मृतका भुखलीबाई का भांजा है, ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि घटना के दिन लगभग प्रातः 11 बजे जब वह नहर के पास से गुजर रहा था, तब मृतका भुखलीबाई कपड़े धो रही थी और अपीलार्थी उसके समीप खड़ा था; उसके हाथ में फरसा थी। वह अपीलार्थी से बात करके अपने घर चला गया। जब वह पुनः अपने मवेशियों के साथ नहर के पास जा रहा था, तब उसने मृतका का सिर देखा और धड़ वहाँ नहीं था। फिर जब वह जंगल से वापस आया, उस समय धड़ वहाँ पड़ा था और सिर अनुपस्थित था। उसने आगे यह भी कहा कि पूछताछ में अपीलार्थी ने मृतका के सिर के संबंध में एक वृक्ष के पास छिपाए जाने का खुलासा किया, जो अंततः बरामद हुआ। प्रतिरक्षा पक्ष ने इस गवाह से विस्तृत प्रति परीक्षण की। अपनी प्रति परीक्षण के पैरा 4 में उसने अपने पूर्व कथन का समर्थन किया कि जब उसने पहली बार अपीलार्थी को देखा था, तब उसके हाथ में फरसा थी और वह घटना-स्थल के पास उपस्थित था। प्रति परीक्षण के पैरा 5 में उसने विशेष रूप से यह स्वीकार किया कि मृतका नहर पर कपड़े धोते समय अकेली थी और वहाँ अन्य कोई महिला अथवा व्यक्ति उपस्थित नहीं था। यद्यपि अभियोजन अथवा प्रतिरक्षा ने इस गवाह से यह नहीं पूछा कि उसने पहली बार मृतका का सिर उपस्थित देखा था या नहीं, लेकिन संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका बयान (प्रदर्ष .D/1) यह दर्शाता है कि घटना-स्थल पर केवल धड़ पड़ा हुआ था और सिर अनुपस्थित था। गदाधर (अ.सा.-2), जो मृतका का देवर है, तथा गोवर्धन (अ.सा.-3), जो मृतका का पति है, ने अपने साक्ष्यों में कहा है कि जब वे अपीलार्थी के साथ घटना-स्थल पर पहुँचे, तब उन्हें मृतका भुखलीबाई का धड़ मिला और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिर अनुपस्थित था; तत्पश्चात गदाधर (अ.सा.-2) थाना गया और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अपनी प्रति परीक्षण में गदाधर (अ.सा.-2) ने विशेष रूप से यह कहा कि संतू (अ.सा.-1), जो उसका पुत्र है, भी उसके साथ उपस्थित था और मृतका का धड़ वहाँ था तथा सिर नहीं था। संतू (अ.सा.-1), गदाधर (अ.सा.-2) और गोवर्धन (अ.सा.-3) के साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि घटना-स्थल पर मृतका का केवल कटा हुआ धड़ उपस्थित था और सिर अनुपस्थित था, तथा इस घटना से पूर्व नहर के पास केवल अपीलार्थी और मृतका ही उपस्थित थे और अपीलार्थी के हाथ में फरसा थी। मृतका के कपड़े धोने के समय नहर पर अपीलार्थी का इस प्रकार उपस्थित होना, वह भी फरसा के साथ, स्वाभाविक नहीं था, क्योंकि भुखलीबाई उसकी पत्नी नहीं, बल्कि गोवर्धन (अ.सा.-3) की पत्नी थी। अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वह मृतका के समीप क्यों उपस्थित था, वह भी फरसा के साथ, और कब वह भुखलीबाई से अलग हुआ, अथवा उसे चोट किसने पहुँचाई और उसकी गर्दन किसने काटी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) प्रधान आरक्षक शोभनाथ सिंह (अ.सा.-10), जिन्होंने विवेचना की है, ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि दिनांक 3.5.1992 को उन्होंने अपीलार्थी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। अपीलार्थी ने मृतका भुखलीबाई के सिर, फरसा तथा रक्तरंजित कपड़ों के संबंध में एक संस्वीकृति कथन दिया, जिसे प्रदर्ष-पी/5 के रूप में अंकित किया गया। इसके बाद वह अपीलार्थी को साथ लेकर गया, जहाँ से अपीलार्थी ने मृतका भुखलीबाई का सिर निकाला, जिसे उसने प्रदर्ष-पी/6 के अंतर्गत जब्त किया। तत्पश्चात वह अपीलार्थी के घर गया, जहाँ से अपीलार्थी ने एक फरसा, रक्तरंजित lungi, बनियान और तौलिया प्रस्तुत किया, जिन्हें प्रदर्ष-पी/7 के अंतर्गत जब्त किया गया। अंत में, उसने मृतका के सिर तथा अन्य जब्त वस्तुओं को परीक्षण हेतु भेजा। संतू (अ.सा.-1) तथा त्रिलोचन (अ.सा.-4) ने शोभनाथ सिंह (अ.सा.-10) के साक्ष्य का इस संबंध में समर्थन किया है कि

अपीलार्थी द्वारा मृतका के सिर एवं अन्य वस्तुओं के संबंध में खुलासा किया गया था और अपीलार्थी की निशानदेही पर मृतका का सिर तथा अन्य वस्तुएँ बरामद की गईं।

(15) उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रत्यक्ष होता है कि मृतका का सिर खुले स्थान पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसे छिपाकर भूमि में गाड़ दिया गया था, जिसे खोदकर बरामद किया गया। यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी पुलिस अधिकारी और अन्य गवाहों को उस स्थान पर ले गया जहाँ सिर गाड़ा गया था, और उसने स्वयं खोदकर मृतका का सिर निकाला, जो प्रदर्ष-पी/6 के अंतर्गत जब्त किया गया।

(16) मृतका का कटा हुआ सिर बरामद हो जाने मात्र से यह निष्कर्ष निकाले जाने हेतु पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी ने ही मृतका भुखलीबाई की हत्या की है, यदि अपीलार्थी इस तथ्य का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता। अपीलार्थी की निशानदेही पर किसी छिपे हुए स्थान से सिर की बरामदगी यह दर्शाती है कि या तो अपीलार्थी ने स्वयं मृतका का सिर छिपाया था, अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने सिर छिपाया था और अपीलार्थी ने उसे छिपाते हुए देख लिया था, या उसे किसी अन्य स्रोत से यह जानकारी मिली थी कि किसी ने सिर छिपाया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक था कि वह यह बताए कि उसे यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई। ऐसे किसी स्पष्टीकरण के अभाव में एकमात्र निष्कर्ष यही संभव है कि अपीलार्थी ने ही मृतका भुखलीबाई का सिर छिपाया और उसे दफनाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध किया है:—

i. अपीलार्थी का मृतका भुखलीबाई, जो गोवर्धन (अ.सा.-3) की पत्नी थी, के साथ अवैध संबंध था;

ii. घटना के दिन तथा घटना के समय अपीलार्थी नहर के समीप उपस्थित था और उसके हाथ में फरसा थी;

iii. मृतका भुखलीबाई भी नहर पर उपस्थित थी और कपड़े धो रही थी;

iv. भुखलीबाई और अपीलार्थी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था;

v. उसी दिन दोपहर लगभग 3 बजे मृतका भुखलीबाई का कटा हुआ धड़ स्थल पर पाया गया और उसका सिर अनुपस्थित था;

vi. उस समय अपीलार्थी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था;

vii. अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वह गोवर्धन की पत्नी भुखलीबाई के समीप क्यों उपस्थित था, वह भी एक खतरनाक हथियार (फरसा) के साथ, और मृतका का सिर किसने काटा;

viii. अपीलार्थी ने मृतका भुखलीबाई के सिर, फरसा और कपड़ों के संबंध में संस्वीकृति कथन दिया;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ix. मृतका भुखलीबाई का सिर घटना-स्थल से दूर भूमि में दफन पाया गया;

x. जिस स्थान पर भुखलीबाई का सिर दफन था, वह स्थान अपीलार्थी द्वारा बताया गया, और उसी ने सिर को खोदकर निकाला;

xi. फरसा अपीलार्थी की निशानदेही पर जब्त की गई; और

xii. अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मृतका भुखलीबाई का सिर किसने छिपाया।

(18) यदि उपर्युक्त परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाए, तो एकमात्र यही परिकल्पना संभव है कि वर्तमान अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है, जिसने मृतका भुखलीबाई की हत्या की तथा अपराध के साक्ष्यों को छिपाया, और अपीलार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध किए जाने की कोई संभावना नहीं है। ये परिस्थितियाँ अपीलार्थी की निर्दोषता की संभावना को भी पूर्णत: निरस्त करने हेतु पर्याप्त हैं।

(19) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर ने अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध कर दंडित किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश विश्वसनीय, निर्णायक एवं भरोसेमंद साक्ष्यों पर आधारित हैं, जो विधि की दृष्टि में पूर्णतः स्थिर रखने योग्य हैI

(20) साक्ष्यों के निकट परीक्षण पर हमें अपीलित निर्णय में कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती। अपील निरर्थक एवं गुणहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है और इसे अस्वीकृत किया जाता है।

सही
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Advocate Swapnil Bose.